

**ग्राम पंचायत खरवाड़, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खरवाड़, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति रीता ठाकुर	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री मदन लाल कौशल	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री चतुर सिंह	01.04.14 से 30.04.16
2	श्रीमति सुमन कुमारी	01.05.16 से 12.10.16
3	श्री बलबीर चन्द	13.10.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत खरवाड़, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.09
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	28.15
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.30
5	8	निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि	-
6	9	निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक क्रय करके भुगतान करने के फलस्वरूप हानि	0.09

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत खरवाड, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 23.08.17 से 26.08.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	09/2014
2015-16	05/2015	10/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत खरवाड, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 474(a) दिनांक 26.08.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या UMK 499923 (PNB) दिनांक 31.08.17 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि.प्र.) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत खरवाड, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत खरवाड, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	167736	15935	183671	5277	178394
2015-16	178394	17927	196321	15654	180667
2016-17	180667	120116	300783	22786	277997

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत खरवाड, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	928532	1908130	2836662	1792608	1044054
2015-16	1044054	1686143	2730197	1330636	1399561
2016-17	1399561	3228325	4627886	1812992	2814894

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹277997

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2814894

कुल अन्तशेष : ₹3092891

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3092888

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹3

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -061217	277994
GEN-B, KCCB -061057	367754
13th & 14th FC, PNB -08766	2285191
IAY, KCCB-35113	2361
RAY, KCCB- 37652	12009
Haryali Grant, KCCB- 53807	535
Haryali - Public Share, KCCB- 55293	147044
MNREGA, PNB -06546	0
कुल राशि	3092888

4.1 रोकड़ वही के अन्तशेष का बैंक खातों के अन्तशेष से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत खरवाड की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.09 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर एवं शादी पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹9180 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	65600	17600	83200	40	83160
2015-16	83160	19080	102240	16400	85840
2016-17	85840	20040	105880	98100	7780

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1400 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि अवधि 01.11.16 से 31.03.17 तक ग्राम पंचायत में कुल 27 विवाह पंजीकरण हुए थे जिसके अन्तर्गत ₹1400 पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूल किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	कुल पंजीकरण	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
01.11.16 से 31.03.17	27	1. APL, 25 X 200 = 5000 2. BPL, 2 X 25 = 50 कुल राशि = 5050	3650/-	1400/-

6 अनुदान ₹28.15 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2814894 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.30 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹29694/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं	वा0 सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
13वें वित्त आयोग					
1	25 दिनांक 06.09.14	Bill No. 419 Dated 25.08.14, M/s Jagdamba Hardware Enterprises	स्टील	24634.00	नि. शमशान घाट द्रोण नुगराइयाँ
2.	26 दिनांक 06.09.14	Bill No. 440 Dated 25.08.14, M/s Jagdamba	ग्रिल इत्यादि	5060.00	-do-

8 निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि :-

जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु रेत प्लांट की दर ₹ 3200/- (60 CFT) प्रति ट्राली मैसर्ज राज कुमार के पक्ष में अनुमोदित की गई थी, लेकिन चयनित माहों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि निम्नलिखित सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹850/- की वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में अधिक दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
13th FC					
1	18 दिनांक 11.08.14	Bill No. 24 Dated 28.06.14, M/s Raj Kumar	Sand Plant 1 trolley @ ₹3500/-P.trolley	Sand Plant 1 trolley @ ₹3200/-P.trolley	300/-
2	20 दिनांक 11.08.14	Bill No. 23 Dated 05.08.14, M/s Raj Kumar	Sand Plant 1/2 trolley @ ₹1700/-	Sand Plant 1/2 trolley @ ₹1600/-	100/-
3	36 दिनांक 24.11.14	Bill No. 164 Dated 05.11.14, M/s Sharma Building material	Sand Plant 1.5 trolley @ ₹3500/-P.trolley= ₹5250/-	Sand Plant 1.5 trolley @ ₹3200/-P.trolley= ₹4800/-	450/-

9 निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री की मात्रा का अधिक क्रय करके भुगतान करने के फलस्वरूप ₹0.09 लाख की हानि :-

1. “नि. सम्पर्क मार्ग द्रौण ब्राह्मणा” :- माप पुस्तिका 5857 पृष्ठ 40-42 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, बजरी एवं पत्थर की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:4:8, 8.85 CUM	8.85 X 3.40 = 30 बैग	8.85 X 0.47 = 4.16 CUM	8.85 X 0.89 = 7.88 CUM
P/L C:C 1:3:6, 18.97 CUM	18.97 X 4.40 = 83 बैग	18.97 X 0.47 = 8.92 CUM	18.97 X 0.89 = 16.88 CUM

Stone Soling	-	-	-
33.08 CUM			
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	113 बैग	13.08 CUM	24.76 CUM

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार अपेक्षित बजरी की अपेक्षित खपत 24.76 CUM के स्थान पर 27.90 CUM (भण्डार रजिस्टर पृष्ठ -17) एवं पत्थरों की अपेक्षित खपत 33.08 CUM के स्थान पर 35.68 CUM (भण्डार रजिस्टर पृष्ठ -17) का प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में बजरी एवं पत्थर की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 3.14 CUM (110.87 cft) बजरी @ ₹40 प्रति Cft की दर से ₹4434 एवं 2.60 CUM (92 cft) पत्थर @ ₹23.33 प्रति Cft की दर से ₹2146 की कुल ₹6580 वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

2. “नि. रास्ता खरवाड रविन्द्र कुमार के घर से शमशान घाट तक” :- माप पुस्तिका 5857 पृष्ठ 35-37 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत, बजरी एवं पत्थर की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	रेत की अपेक्षित मात्रा	बजरी की अपेक्षित मात्रा
P/L C:C 1:3:6, 14.77 CUM	14.77 X 4.40 = 65 बैग	14.77 X 0.47 = 6.94 CUM	14.77 X 0.89 = 13.15 CUM
Stone Soling 12.14 CUM	-	-	-
सामग्री की कुल अपेक्षित खपत	65 बैग	6.94 CUM	13.15 CUM
क्रय सामग्री का विवरण	Bill No. 042 Dated 25.09.14, M/s Raj Kumar	रेत व बजरी 780 cft @ ₹23.333/- प्रति Cft = 18200/- पत्थर 480 cft @ ₹23.333/- प्रति Cft = 11200/-	

जांच में पाया कि उक्त कार्य में मानकों के अनुसार अपेक्षित रेत व बजरी की अपेक्षित खपत 20.09 CUM के स्थान पर 22.09 CUM एवं पत्थरों की अपेक्षित खपत 12.14 CUM के स्थान पर 13.59 CUM का प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में रेत, बजरी एवं पत्थर की अधिक मात्रा का क्रय करके दुरुपयोग किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 2 CUM (71 cft) बजरी व रेत @ ₹23.333 प्रति Cft की दर से ₹1657 एवं 1.45 CUM (51 cft) पत्थर @ ₹23.33 प्रति Cft की दर से ₹1190/- की कुल ₹2847 वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 474 दिनांक 25.08.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 4 दिनांक 26.08.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वसूलियों की जांच उपरान्त बाद में अवगत करवाया जायेगा। अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

10 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना

अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाब न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6)34/2017 खण्ड-1-220-223 दिनांक 09.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि०प्र०

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत खरवाड विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046